POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 अगस्त, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश में कोरोना महामारी संकट के चलते लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और कामगार कई परेशानियों को झेलते हुए अपने-अपने गांव कस्बों व शहरों में पहुंच चुके हैं।

राजस्थान में आए प्रवासियों में से कुछ तो अपने परिवार के साथ फिर से खेती-बाड़ी के काम में लग गए, लेकिन कोई और विकल्प नहीं होने से ज्यादातर प्रवासी हारकर मनरेगा में गड्ढे खोदने में लगे हैं। अभी भी इनके सामने मन माफिक रोजगार का संकट खड़ा है। स्थानीय स्तर पर कार्य कौशल के आधार पर रोजगार नहीं मिलना इनके लिए सबसे बड़ी दुविधा बना हुआ है।

प्रदेश में लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों (एमएसएमई) पर पड़ा है। आज भी यह क्षेत्र गंभीर संकट के दौर से जूझ रहा है। लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर है। कौशल के आधार पर रोजगार देने में भी इस क्षेत्र की भूमिका अहम मानी जाती है। केंद्र सरकार ने इनके लिए कई सुविधाएं तो दी, लेकिन उनमें ज्यादातर बैंकों से कर्ज के तौर पर है। मेरे विचार से, इस क्षेत्र को ज्यादा मजबूत बनाए जाने और समय के अनुसार इसमें नयापन लाने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत छह राज्यों के 116 जिलों में कार्य कौशल के आधार पर काम देने की शुरुआत भी की है। इसमें राजस्थान के 22 जिले भी शामिल है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को कौशल के आधार पर 25 विभिन्न तरह के काम मिलने से राहत मिल सकेगी।

अमूमन देखा गया है, सरकारी घोषणाएं बहुत धीरे-धीरे जमीनीस्तर पर पहुंचती हैं। केंद्र सरकार की ओर से धन उपलब्ध कराने के बावजूद जरूरतमंदों को शीघ्र फायदा नहीं मिलता। सरकार व नौकरशाहों के लिए यह समय प्रशासनिक शिथिलता और खामियों को दूर करने का है।

मृत्युभोज निवारण अधिनियम की पालना जरूरी

कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों में मृत्युभोज का प्रचलन जारी है। पिछले दिनों दौसा जिले के महुवा थाना इलाके के सांथा गांव निवासी सांवल राम मीणा ने पिताजी की मौत के बाद गांव में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छोटे रूप में मृत्युभोज कर दिया था। इसके बाद गांव के पंच पटेलों ने उसके ऊपर आठ गांव के लोगों का मृत्युभोज (नुक्ता) करने का दबाव बनाया। मना करने पर ग्रामीणों ने सांवल राम उसकी पत्नी कैलाशी व बेटे ज्ञान के साथ मारपीट तक की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मृत्युभोज निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृत्युभोज होने की सूचना न्यायालय को दिए जाने का दायित्व पंच, सरपंच और पटवारी को दिया गया है। पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनन दंड का प्रावधान है। कोरोना संक्रमण के चलते जिला पुलिस को मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 का सख्ती के साथ पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिनियम में है दंड का प्रावधान

- *न्यायालय मृत्युभोज के आयोजन पर स्टे जारी कर सकता है। न्यायालय केस्टे की अवहेलना करने पर एक वर्ष तक का कारावास दंड दिया जा सकता है।*
- *न्यायालय को मृत्युभोज होने की सूचना देने का दायित्व पंच, सरपंच और पटवारी पर है। सूचना नहीं देने पर तीन माह तक की जेल हो सकती है।*
- *कोई व्यक्ति मृत्युभोज का आयोजन करता है या उसमें सहायता करता है, तो उसे एक साल की जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।*

शादी में फैला कोरोना, दूल्हे के पिता पर 6.26 लाख रुपए जुर्माना

शादी समारोह में कोरोना फैलने पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद भीलवाड़ा जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने परिवार के मुखिया पर 6 लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शादी में शामिल 15 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 58 जनों को क्वॉरंटीन किया गया। दूल्हे के दादा की कोरोना से मौत हो गई। उनकी पत्नी और और पोते की भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

मामले के अनुसार 13 जून को घीसूलाल राठी के पुत्र रिजुल का विवाह था। समारोह में 300 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इसके बाद 15 लोग संक्रमित मिले। अन्य लोगों के संक्रमित होने की आशंका के चलते चिकित्सा टीमों ने जांच भी की। विवाह में 50 जनों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ज्यादा को बुला लिया गया। जुर्माने में 58 लोगों को क्वॉरंटीन किया गया। इसका पूरा खर्च भी जुर्माना राशि में शामिल है।

'कट्स' ने शुरू किया कोरोना पर जागरूकता अभियान

'कट्स' द्वारा राजस्थान के 11 जिलों में (जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ एवं जोधपुर) कोरोना महामारी के खिलाफ विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया ।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, मास्क पहनने, शारीरिक दूरी रखने और सुरक्षित खाद्य के प्रति जागरूक करना है। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने, सभी स्वास्थ्य प्रोटोकाल का पालन करने और संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। ताकि वे इस महामारी से खुद को व अपने परिवार को बचा सकें।

जागरूकता गतिविधियों का शुभारंभ 1 जुलाई 2020 को चित्तौड़गढ़ के एराल गांव में किया गया। इसमें सम्बन्धित पोस्टर एवं संदर्भ सामग्री का विमोचन अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कलाल एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, ए.एन.एम, आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, सामुदायिक लीडर एवं 'कट्स' के स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

हर गांव में लगाए जाएंगे स्वास्थ्य मित्र

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी गांवों में कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मित्र लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मित्र कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में मृत्यु दर को नगण्य करने और लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए गांव-ढाणी और मोहल्ले तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है।

उन्होंने कहा कि जनचेतना के लिए इतना व्यापक अभियान संचालित करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। कोरोना से निपटने के लिए हमें समझाइश और सख्ती दोनों तरीकों पर साथ काम करना होगा।

उद्योगों को मिलेगी तेज गति से रफ्तार

अनलॉक-2.0 में उद्योगों को दोबारा तेज गति देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर योजनाएं बनाने में जुटा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उद्योगों के हिसाब से मजदूरों की आवश्यकता की सभी राज्यों से रिपोर्ट तलब की थी। इसके आधार पर गृह मंत्री सभी रिपोर्ट संकलित कर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं।

केंद्र सरकार का ध्यान बड़े, छोटे, मझोले व कुटीर उद्योगों को तेजी से रफ्तार देने पर है। औद्योगिक गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत जुलाई और अगस्त में रोजगार देने का काम करेंगे।

मनरेगा में बढ़ी काम मांगने वालों की संख्या

प्रदेश में मनरेगा के तहत काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या तीन से चार गुना तक बढ़ गई है। करीब चार लाख से अधिक ऐसे श्रमिक

सामने आ रहे हैं जो सात से आठ साल बाद काम पर लौटे हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में पंचायतीराज विभाग की ओर से एक करोड़ से भी ज्यादा जॉबकार्ड बने हुए हैं, जिनमें से 71 लाख से अधिक जॉबकार्ड एक्टिव हैं। जबकि पिछले साल तक यह आंकड़ा 41 से 50 लाख के बीच ही था।

पंचायतीराज विभाग के सामने मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकना एक बड़ी चुनौती है। पिछले पांच सालों में मनरेगा में 27 हजार से भी ज्यादा घपले की शिकायतें दर्ज हुई हैं।

स्वयं सहायता समूहों ने दिया सहयोग

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूह कोरोना महामारी से उपजे गंभीर संकट में लोगों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। महिला समूहों ने इस महामारी के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने, लाखों की संख्या में मास्क बनाकर घर-घर पहुंचाने का काम किया है। इन समूहों ने सैनेटाइजर और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कमी को भी पूरा किया है।

ग्रामीणों, श्रमिकों और गरीबों तक राशन व अन्य सामग्री पहुंचाने व घर के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं देने में मदद करने के साथ-साथ जरूरतमंदों को प्रशासन से मदद दिलाने जैसे काम भी इन महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं। इससे कई बुजुर्गों और जरूरतमंदों को घर बैठे लाभ मिला है।

प्रदेश के 1670 गांव जुड़ेंगे सड़कों से

कोरोना को पीछे छोड़ते हुए अब राज्य के छोटे गांव और ढाणियों को मुख्य सड़क से जोड़ने पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग 19 जिलों के 1670 गांवों में सड़कें बनाने का काम शुरू कर देगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह काम 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा और इसे 10 महीने में पूरा करना है। वहीं, विभाग को दो महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। इससे एक साल के भीतर 28 लाख से भी ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इस सूची में 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों से लेकर 250 से कम आबादी वाले गांव भी शामिल हैं।

गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज

लॉकडाउन में गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल तथा प्रति परिवार एक किलो चना मिलता है।

गरीब कल्याण अन्न योजना 30 जून को समाप्त हो रही थी। अब इस योजना को 5 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में राशन पहुंच रहा है।

सौंफ-आंवला से बनाया शीतल पेय

प्रदेश के कई जिलों में सौंफ की बम्पर पैदावार और आंवला उत्पादन ने किसानों के लिए नई राह खोल दी है। अब सौंफ-आंवला मिक्स करके शीतल पेय (स्क्वैश) तैयार किया गया है। यह विदेशी कंपनियों के शीतल पेय को भी मात देगा। युवा किसान इनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर समृद्ध बन सकते हैं।

इससे जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी, वहीं स्थानीय युवाओं और किसानों को भी रोजगार मिल सकेगा। यह पेय एंटी ऑक्सीडेंट है जो पाचन शक्ति बढ़ाता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर किसानों को सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाता है। किसान राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, अजमेर के वैज्ञानिकों से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते हैं।

कोरोना से बचाव का रखें पूरा ध्यान

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह मास्क पहनकर ही बाहर निकले। आदेशों के अनुसार मिलते समय दो गज की दूरी बनाएं रखें। सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूंके तथा भीड़भाड़ में जाने से बचें।

मिलते समय हाथ मिलाने या गले लगने जैसे अभिवादन से बचा जाए। बार-बार साबुन व पानी से या सेनेटाइजर से हाथों को धोएं। कार्यस्थलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की जाए। शादी समारोह या अंतिम संस्कार में निर्धारित संख्या में ही लोग शामिल हों। दुकानों व सार्वजनिक स्थानों पर बार-बार छूने वाली सतहों की सफाई व हैंड वॉश का पालन करें।

ड्राफ्ट (विद्युत आपूर्ति कोड और संबंधित मुद्दे) अधिनियम 2019 पर सुनवाई

राजस्थान विद्युत वितरण निगम द्वारा हाल ही 6 से 9 जुलाई तक ड्राफ्ट (विद्युत आपूर्ति कोड और संबंधित मुद्दे) अधिनियम 2019 पर लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अधिनियम के तहत विद्युत वितरण निगम विद्युत आपूर्ति के तकनीकी मानदंड, उपभोक्ता श्रेणियों और वोल्टेज के आधार पर वर्गीकरण, कनेक्शन एप्लाई करने, कनेक्शन जारी करने और काटने के विभिन्न प्रावधानों, सुरक्षा राशि और मीटर इंस्टॉलेशन, मीटर पढ़े जाने और बदलने के विभिन्न प्रावधानों का निर्धारण करता है। विद्युत वितरण निगम द्वारा पारित किए गए विभिन्न अधिनियमों में यह एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। कुछ महत्वपूर्ण सुझावों में नए ड्राफ्ट के तहत एक विद्युत आपूर्ति कोड पुनर्विलोकन समिति की स्थापना का प्रस्ताव किया गया।

ड्राफ्ट अधिनियम पर सुनवाई के दौरान 'कट्स' इंटरनेशनल और बास्क रिसर्च फाउंडेशन ने अधिनियम में सुधार के लिए अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। 'कट्स' इंटरनेशनल ने सुझाव दिया कि अधिनियम में प्रावधानों के निर्धारण से पहले जिले और ग्राम पंचायत स्तर पर विद्युत वितरण निगम को उपभोक्ताओं के साथ चर्चा और समस्याओं का मूल्यांकन करना चाहिए। हाल ही में विद्युत निगम ने टैरिफ पीटीशन की सुनवाई हर विद्युत डिस्कॉम के स्थानीय मुख्यालयों में आयोजित की थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निगम को अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जिला स्तर पर सुनवाई का आयोजन करना चाहिए। इन सभी तरीके के सुझाव उपभोक्ता संगठन एकत्रित होकर विद्युत वितरण निगम को दे सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर